[ 30/12/2020]

18

[ प्रश्न सं. (क्र. 163 ]
अतारांकित – 163

परिशिष्ट अ

माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रदान किया गया पत्र क्र.1013 दिनांक 19.10.2020 के उल्लेखित बिन्द 1 से 6 तक का बिंदुवार परीक्षण किया गया।

| बिंदु क्रमांक | पत्र के बिंदु | परीक्षण उपरांत स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | श्री श्याम रैनीवाल, उप प्राचार्य, आदर्श उमावि टी0टी0 नगर भोपाल का सन 2015 में उप प्राचार्य से प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने के पश्चात, उप प्राचार्य का पद रिक्त होने पर वर्ष 2015 में किसी व्याख्याता को उप प्रचार्य के पद पर पदोन्नति क्यों और कैसे नहीं दी गई। इससे माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कौन-कौन अधिकारी दोषी है उन पर अभी तक कौन-कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, अवगत कराने का अनुरोध है। उनकी लापरवाही के कारण ही उप प्राचार्य के पद पर पदोन्न्ति नहीं हो सकी है तथा योग्य व्याख्याता उप प्राचार्य के पद पर पदोन्न्ति से वंचित हुये है। | श्री श्याम कुमार रैनीवाल उप प्राचार्य आदर्श उमावि टी.टी. नगर भोपाल का सन 2015 में उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उप प्राचार्य का पद रिक्त हो गया था। किन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद दायर होने से वर्ष 2016 से पदोन्नति नहीं होने के कारण उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नही की जा सकी। |
| 2 | अनुसूचित जनजाति महिला संवर्ग से एक मात्र मीना भौरिया कामर्स वरिष्ठ व्याख्याता ही कार्यरत है तथा विषय समूह (कामर्स) की व्याख्याता है। | यह सही है अनुसूचित जनजाति महिला संवर्ग में मीना भौरिया व्याख्याता ही वाणिज्य संकाय में कार्यरत है। किन्तु इनसे भी वरिष्ठ श्रीमती पुष्पलता मरावी व्याख्याता अनुसूचित जनजाति वर्ग में कार्यरतहै। |
| 3 | मीना भौरिया का कार्य व्यवहार अति उत्तम होने के कारण तथा उनका संस्था में अनुशासन काफी लोकप्रिय होने पर तथा उनके दवारा प्रशिक्षित किये गये छात्रों दवारा 4 वर्षो से मण्डल की टॉप टेन सूची में स्थान प्राप्त करके संस्था का नाम प्रदेश में गौरान्वित किया गया है। फिर भी उनके उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान को नजरअंदाज करते हुये गुमराह पूर्वक जानकारी प्रदान की जा रही है। | श्रीमती मीना भौरिया का कार्य अतिउत्तम होने के कारण तथा उनका संस्था में अनुशासन काफी लोकप्रिय होने पर तथा उनके द्वारा प्रशिक्षित किये गये छात्रों द्वारा 04 वर्षो से मण्डल की टॉपटेन सूची में स्थान प्राप्त करके संस्था का नाम प्रदेश में गौरान्वित किया गया है। जिसके संबंध में लेख है कि यह जानकारी उप प्राचार्य के प्रभार के लिये आधार नही बनती है। |
| 4 | मीना भौरिया वरिष्ठ व्याख्याता आदर्श उमावि भोपाल में 28.06.2018 से प्रथम समयमान वेतनमान मिलने पर वरिष्ठ व्याख्याता है। प्रथम समयमान वेतनमान के नियमों के अनुसार जिस दिनांक से प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है उसी दिनांक से उसकी वरिष्ठता का लाभ भी प्रदान किया जाता है। प्रथम समयमान वेतनमान दिनांक 28.06.2018 से प्राप्त होने पर मीना भौरिया वरिष्ठ व्याख्याता दिनांक 28.06.2018 से वरिष्ठ व्याख्याता होने पर संस्था में अनुसूचित जनजाति संवर्ग में अथवा महिला सवंर्ग में उनसे वरिष्ठ व्यख्याता (28.06.2018) से उसकी वरिष्ठता से कोई | समयमान वेतनमान के नियमों में वरिष्ठता संबंधी नियमो का उल्लेख नही है।<br><br>अनुभाग अधिकारी<br>मध्य प्रदेश शासन,<br>स्कूल शिक्षा विभाग (कक्ष-3) |

8

अतारांकित - 163.

| | | |
|---|---|---|
| | संस्था में अनुजनजाति संवर्ग् में अन्य वरिष्ठ व्याख्याता कार्यरत नहीं है। | |
| 5 | यदि मीना भौरिया वरिष्ठ व्याख्याता को संस्था में उप प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया जाता है तो इससे किसी भी अनुसूचित जनजाति संवर्ग के व्याख्याता की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। | आदर्श उमावि टी.टी. नगर भोपाल में मीना भौरिया से भी वरिष्ठ व्याख्याता कार्यरत होने से उप प्राचार्य पद का प्रभार नही सौंपा गया है। |
| 6 | माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल दवारा वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुये श्री मुकेश मालवीय, सहायक सचिव एवं श्री उमेश कुमार ठाकुर सहायक सचिव को दिनांक 17.06.2020 को नियम विरूद्ध एवं आपसी मिली भगत से भ्रष्टाचार करते हुये सभी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुये दिनांक 17.06.2020 को पंजीयक का प्रभार प्रदान किया गया है। कनिष्ठ सहायक सचिवों को वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुये पंजीयक का प्रभार प्रदान किया जाना इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मण्डल दवारा दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है। दूसरी ओर योग्य वरिष्ठ व्याख्याता को उप प्राचार्य के पद का प्रभार प्रदान नहीं करते हुये असत्य एवं निराधार उत्तर प्रदान किया जा रहा है। | मण्डल मुख्यालय में पंजीयकों के सेवानिवृत्त होने से पदो की रिक्तता के कारण तथा पदोन्नति न होने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आदेश क्र.3383 भोपाल दिनांक 17.06.2020 एवं आदेश क्र.3385 भोपाल दिनांक 17.06.2020 के द्वारा सहायक सचिवों को प्रशासनिक कार्यसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी रूप से पंजीयक का प्रभार सौंपा गया है। |

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (कक्ष-3)